

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232217
CG-DL-E-28122021-232217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]
No. 731]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 890(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायलर प्रचालन नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर प्रचालन (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बायलर प्रचालन नियम, 2021 में, नियम 30 के खंड (ख) में, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“टिप्पण—इंजीनियरी की शाखाओं के उपरोक्त उल्लिखित के साथ कोई एकीकरण या संयोजन, उदाहरणार्थ, विद्युत और इलेक्ट्रानिकी, विद्युत और यांत्रिकरण आदि, भी अनुज्ञात होगा।”

[फा. सं. पी-30012/2/2020-बायलर्स]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 115(अ), तारीख 16 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

G.S.R. 890(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (f) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Boiler Operation Rules, 2021, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Boiler Operation (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Boiler Operation Rules, 2021, in rule 30, in clause (b), the following Note shall be inserted, namely:—

“**Note :** Any integration or combination with the above-mentioned branches of Engineering, for example, Electrical and Electronics, Electrical and Instrumentation, etc. shall also be allowed.”.

[F. No. P-30012/2/2020-Boilers]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 115(E), dated the 16th February, 2021.